

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-101/2022- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० श्वेता कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, एस० एन० सी० यु०, सदर अस्पताल, गोपालगंज द्वारा दिनांक-01.01.2025 से 31.07.2025 तक कुल-212 (दो सौ बारह) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1511(25), दिनांक-17.07.2025 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के पश्चात् डा० कुमारी का 518 (पाँच सौ अठारह) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-101/2022- 506(2) पटना, दिनांक 6/13/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गोपालगंज/ डा० श्वेता कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, एस० एन० सी० यु०, सदर अस्पताल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wahank Singh
सरकार के उप सचिव

2